[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं0 50/2018 -- केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 13 सितंबर, 2018

सा.का.नि. ………. (अ)–केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 1163(अ), तारीख 15 सितंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं 33/2017-केंद्रीय कर, तारीख 15 सितंबर, 2017 को, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, 1 अक्तूबर, 2018 को उस तारीख के रूप से नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 51 के उपबंध, उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्तियों और उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन नीचे विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के संबंध में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :--

(क) किसी कार्य को करने के लिए साम्या या नियंत्रण द्वारा इक्यावन प्रतिशत या अधिक की भागीदारी के साथ,--

(i) संसद् या किसी राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा गठित ; या

(ii) किसी सरकार द्वारा स्थापित,

कोई प्राधिकरण या बोर्ड या कोई अन्य निकाय ;

(ख) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन स्थापित कोई सोसाइटी ;

(ग) पब्लिक सेक्टर उपक्रम ।

[फा.सं. 349/58/2017-जीएसटी(पीटी.)]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार